तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामोतार मीना बनाम लोक सूचना अधिकारी(अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर)** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/158**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.23	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही तथा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा की टिप्पणी पत्रांक 376 दिनांक 26.09.2023 प्राप्त जिसमें उन्होने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन में दो बिन्दू पर सूचना चाही गई के क्रम में कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 161 दिनांक 27.03.2023 द्वारा जवाब प्रेषित अवगत कराया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा नही कराया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क राजकोष में जमा नही करवाए जाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। कृपया अपील को खारिज कराने का श्रम करावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पेश कर दो बिन्दूओं पर सूचना चाही गई थी जिस पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 161 दिनांक 27.03.2023 से अपीलार्थी को जवाब प्रेषित कर प्रतिलिपि शुल्क जमाकर सूचना प्राप्त करने हेतु अवगत कराया जा चुका है किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क राजकोष में जमा नही करवाऐ जाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करावाई गई है। ऐसी स्थिति अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य प्रतीत होती है। अपीलार्थी चाहे तो प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(डॉ0आरुषी मलिक)** अपीलेट अधिकारी संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	